राजस्व अपील संख्या : 10/2022
उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

नये नम्बर	गत नम्बर
राजस्व अपील संख्या : 10/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/65	राजस्व अपील संख्या : 13/2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2020/00018

प्रार्थी :–

1. हीराराम पुत्र वरदाराम जाति माली निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. पनाराम पुत्र गेनाजी जाति माली निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली राज.
2. तहसीलदार महोदय, बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/1274 दिनांक 15.06.2020 जिसे तहसीलदार भू.अ. बाली द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 15.09.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् विरुद्ध तहसीलदार भू.अ. बाली के आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/1274 दिनांक 15.06.2020 को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई। अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अपीलाण्ट ने अपील मीमों में कथन किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि कस्बा बाली के खसरा नम्बर 1557 रकबा 0.11 हैक्टर व अन्य खसरा नबंरान की कृषि भूमि ग्राम बाली में आई हुई स्थित है। उसी तरह रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1557/3722 रकबा 0.20 हैक्टयेर व अन्य खसरा नम्बरान की कृषि भूमि ग्राम बाली में आई हुई स्थित है। अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1557 और रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1557/3722 दोनों ही एक–दूसरे से लगती हुई मौके पर राजस्व नक्शा ट्रेस में स्थित है। उपरोक्त स्थिति अंतिम सेटलमेंट के समय से अर्थात करीब 35–40 वर्षो से यथावत चली आ रही है। इसी अनुरुप मौके पर काबिज है और अपनी–अपनी खातेदारी भूमि पर उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 10/2022
उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

जैर अपील आदेश द्वारा बिना अपीलाण्ट को नोटिस दिए, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट के आवेदन पर अवैध रुप से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1557 राजस्व नक्शा ट्रेस में जिस स्थान पर स्थित है, उस जगह पर रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1557/3722 और जहां पर रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1557/3722 स्थित है, वहां पर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1557 किए जाने बाबत दुरुस्ती का आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है।

तहसीलदार महोदय को राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरस्ती करने, शुद्धि करने एवं किसी प्रकार से राजस्व नक्शा ट्रेस में हेर–फेर करने की विधिक रुप से कोई अधिकार किसी भी विधि में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकारविहिन होने से प्रथम दृष्टया ही एब इनिसियो वॉईड और शुन्य है। प्राकृति न्याय का सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक आदेश प्रभावित व्यक्ति को नोटिस दिए बिना और सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाए, बिना जवाब व सुनवाई का अवसर प्रदान किए अपीलार्थी की पीठ पीछे एकपक्षीय पारित किया है, जो अवैध व शून्य है।

अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेण्ट पनाराम व अपीलाण्ट के पिता वरदाराम के बंटवाडा अनुसार खसरा नम्बर की हुई त्रूटि का दुरुस्ती का उल्लेख किया गया है, जबकि ऐसे कोई बंटवाडे की जानकारी अपीलार्थी को नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी के जीवनकाल में ऐसा कोई बंटवाडा नहीं हुआ है और पिछले 35–40 वर्षों से ऐसा कोई बंटवाडा होना ज्ञात नहीं हुआ है। अतः जैर अपील तहसीलदार भू.अ. बाली के आदेश क्रमांक/2020/1274 दिनांक 15.06.2020 को निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश बिना अपीलार्थी को पक्षकार बनाए, बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित किया है, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.09.2020 को हुई जब मौके पर रेस्पोडेण्ट ने आकर अपीलार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1557 में दखल करने की कोशिश की और यह बताया कि नक्शा ट्रेस में यह खसरा नम्बर रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज हो गया है तब जानकारी कर अधीनस्थ न्यायालय में सम्पूर्ण पत्रावली की नकलों हेतु आवेदन किया, लेकिन केवल अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 14.09.2020 को दी गई अन्य नकलें देने से इंकार कर दिया, तत्पश्चात विधिक परामर्श कर उपरोक्त अपील तूरंत पेश की जा रही है। अपीलार्थी कम पढे–लिखे कृषक वर्ग का व्यक्ति है इसलिए कानून की जानकारी नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 10/2022
उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र को देखने मात्र से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को अपील पेश करते समय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी रही है तथा अपील सन् 2020 में पेश किये जाने अन्तरिम अनुतोष प्राप्त करने के बाद, अपीलाधीन आदेश की जानकारी तारीख 07.07.2021 को होना, दोनों कथन आपस में एक दूसरे के विरोधाभाषी कथन है। अगर अपील सन् 2020 में पेश कर अन्तरिम अनुतोष प्राप्त किया गया तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी भी उसी दिन अपीलाण्ट को हो गई थी, लेकिन दिनांक 07.07.2021 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी का कथन कर अपील को म्याद में शुमार किए जाने के अपीलाण्ट के कथन किसी विधि द्वारा मान्य नही है और अपीलाण्ट की अपील को निरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत है। अपीलाण्ट द्वारा पेश डिले कण्डोन के प्रार्थना में वर्णित कथनों के आधार पर भी अपीलाण्ट की अपील को देरी से पेश किए जाने के समय को क्षमा योग्य नही माना जा सकता है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र डिले कण्डोन पर्याप्त कारण के अभाव में अस्वीकार फरमाते हुए अपीलाण्ट की अपील को म्याद बाहर मानते हुए खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण से सम्बन्धित प्रमाणित रिकॉर्ड पूर्व में प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेण्ट संख्या दो बावजुद सूचना के अनुपस्थित। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि:–

1. उक्त अपील श्रीमान सहायक भू प्रबन्ध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा पत्रावली संख्या 1423/1983 में अपीलाण्ट के पिता वरदाराम व पन्नाराम की ओर से संयुक्त आवेदन के आधार पर दिनांक 27.01.1984 को निर्णय पारित करना बताया गया। सर्वप्रथम अधीन न्यायालय की मिसल का अवलोकन फरमावें जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पिता वरदाराम के प्रस्तुत आवेदन पर तथा वकालतनामा पर न तो हस्ताक्षर है, न ही अंगुष्ट निशान है, जो बयान बताये गये है, उस भी हस्ताक्षर फर्जी व कूटरचित है तथा उक्त बयान किसने लिये, उसके हस्ताक्षर नहीं है इसलिए इसे बयान नहीं माना जा सकता है। बयान पर सहायक भू प्रबन्ध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं है। अपीलाण्ट के पिता द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत न तो आवेदन पेश किया था, न ही अधिवक्ता नियुक्त किया एव न ही बयान व सहमति दी है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि अधीन न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया होती है। इसलिए ऐसे आदेश को बहाल नहीं रखा जा सकता है।
2. यह कि इसके अलावा भी भू प्रबन्ध अधिकारी को आपसी सहमति से अथवा सहमति के बिना कम करने, बढाने, विभाजन करने की कोई अधिकारिता नही है, ऐसी स्थिति में भी उक्त जैर अपील आदेश विधिक रुप से अधिकारिता से परे होने से शून्य है, जिसे कभी भी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

चुनौति दी जा सकती है। शून्य व क्षेत्राधिकार से परे पारित आदेश में मयाद कानून आडे नहीं आता है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश को बहाल नहीं रखा जा सकता है।

3. यह कि, रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में जो आधार बताये गये है, वे सभी झूठे है। रेस्पोडेण्ट का यह कथन कि अपीलाण्ट के पिता वरदाराम को आपत्ति होती तो उनके द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 92/2006 में विवरण होता। उक्त वाद अलग तथ्यो के आधार पर अलग अनुतोष हेतु पेश किया था, उस वाद से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा उक्त अपील में वर्णित अनुतोष से कोई सम्बन्ध नही है।
4. यह कि रेस्पोडेण्ट द्वारा लिखित बहस में यह तथ्य वर्णित किये है कि अपीलाण्ट के पिता वरदाराम व रेस्पोडेण्ट के मध्य दिनांक 06.05.1987, 03.04.1993 एवं 23.06.2000 को आपसी बंटवाडे लिखे जाने बताये है, जो गलत है, ऐसे कोई बंटवाडे नहीं लिखे गये है उक्त तथाकथित बंटवाडो में जैर अपील आदेश में वर्णित भूमि बाबत कोई जिक्र नही है, न ही कोई स्वीकारोक्ति है।
5. यह कि, अपील संख्या 10/2022 में वर्णित जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलाण्ट को नोटिस दिया, न ही सुना गया, न ही सुनवाई का अवसर दिया तथा बिना पक्षकार बनाये सामान्य आवेदन पर एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर जैर अपील आदेश दिनांक 15.06.2020 को पारित किया है, जो आदेश अवैध व शून्यवृत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
6. यह कि सेटलमेंट विभाग के अधिकारीगण व कर्मचारियों को भू प्रबन्ध के दौरान किसी खातेदार की खातेदारी भूमि का रकबा बढाने, घटाने, विभाजन करने, विनिमय करने का अधिकार पक्षकारो की सहमति से भी नही है क्योंकि इस बाबत उन्हें कोई अधिकारिता ही नही है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने म्याद के प्रश्न पर निवेदन किया कि तहसीलदार बाली द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित आलोच्य आदेश प्रारम्भतः ही शून्य (ab intio void) आदेश है और ऐसे किसी भी आदेश अथवा निर्णय पर म्याद की बाधा लागू नहीं होती है। इसके उपरान्त भी अपीलाण्ट की ओर से परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर देरी के उपशमन हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे न्यायहित में स्वीकार फरमाते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2020 को निरस्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अपीलाथीपक्ष द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

1. 1992 RRD 137 (c)
2. 1998 RRD 319 (HC)
3. 2018-19 RRT 145

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. 2024(1) RRT 82
5. 2022(1) RRT 493

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या एक अपीलार्थीपक्ष के तर्कों का खण्डन करते हुए वक़्त बहस निवेदन किया कि अपीलाण्ट को आलोच्य आदेश की जानकारी पूर्व से रही है तथा म्याद प्रार्थना पत्र में काल्पनिक कथनों का अंकन कर देरी के उपशमन का अनुतोष चाहा है। हस्तगत अपील अवधिबाधित होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है। यह भी, कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.1984 की पालना में विवादग्रस्त खसरों का राजस्व अभिलेख मे तो इन्द्राज हो गया, किन्तु नक्शें में माफिक निर्णय पालना नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा ज़ेर अपील आदेश के द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय की पालना की गई है, जो विधिपूर्ण कार्यवाही है। यह भी, कि विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में नियमित वाद लम्बित है, अतः संक्षिप्त विचारण की अपील निर्धारणीय नहीं है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गए:–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

1. 2001 RRD 242
2. 1998 RRD 368
3. 2016(1) RRT 235
4. 2018(2) RRT 1057
5. 1989 RRD 500

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। साथ ही, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

हस्तगत अपील का गुणावगुण आधार पर निर्णयन से पूर्व म्याद के प्रश्न का निर्धारण आवश्यक है। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम के सशपथ कथन किया है कि आलोच्य आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.09.2020 को हुई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.09.2020 को हस्तगत अपील पेश की गई। इसके अतिरिक्त अपील मीमों में तथा वक़्त बहस अपीलार्थीपक्ष द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने और क्षेत्राधिकार से इतर जाकर पूर्णतः अवैधानिक आदेश पारित किया गया है, अतः ऐसे आदेश पर परिसीमा या म्याद का बिन्दु लागू नहीं होता है। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट का जवाब तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील में आलोच्य आदेश को क्षेत्राधिकार बाधित तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना के आधार पर चुनौति दी गई है अर्थात् विचाराधीन प्रकरण में विधि के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

सारभूत तथ्य अन्तर्निहित है। अतः न्यायालय हाजा के विनम्र मत में परिसीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के स्थान पर हस्तगत प्रकरण का गुणावगुण आधार पर निर्धारण करने की न्यायसंगत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD 1998 319 विचाराधीन प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होता है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्टतया प्रतिपादित किया गया है कि

".....now it must be taken as well settled principle of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time barred, courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appalas are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits."

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2020 के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को उपशमन करते हुए विचाराधीन अपील को म्यादशुमार घोषित किया जाता है।

प्रकरण का मज़मून यह है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक श्री पन्नाराम द्वारा दिनांक 28.05.2020 को आवेदन तहसीलदार बाली को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी कृषि भूमि मौजा बाली खसरा संख्या 1557/3722 रकबा 0.20 हैक्टेयर तथा उसके स्वर्गीय भाई के हिस्से की भूमि खसरा संख्या 1557 रकबा 0.11 हैक्टेयर का रकबा जमाबंदी मे तो सही दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शे में भौतिक स्थिति व बंट के विपरित त्रुटिपूर्ण दर्ज है, जिसे दुरस्त कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1557/3722 के स्थान पर 1557 एवं खसरा 1557 के स्थान पर 1557/3722 नक्शें में दर्ज करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी पन्नाराम द्वारा पेश उक्त आवेदन पर तहसीलदार बाली द्वारा हल्का पटवारी बाली से रिपोर्ट मौका फर्द दिनांक 01.06.2020 तलब कर ज़रिए आलोच्य आदेश क्रमांक/1274 दिनांक 15.06.2020 के पटवारी हल्का बाली को निर्देशित किया गया कि बाली के खसरा संख्या 1557/3722 के स्थान पर खसरा संख्या 1557 एवं खसरा नम्बर 1557 के स्थान पर खसरा नम्बर 1557/3722 ऑनलाईन राजस्व नक्शें एवं पटवार नक्शें में उपरोक्तानुसार दुरस्ती करें। उपरोक्त तथ्य तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित प्रकरण के प्रमाणित रिकॉर्ड से सिद्ध है।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित उक्त रिकॉर्ड के अवलोकन मात्र से यह जाहिर होता है कि तहसीलदार बाली द्वारा उपरोक्त खसरा संख्या 1557 के खातेदार अर्थात् अपीलाण्ट पक्ष को आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2020 पारित करने से पूर्व न तो कोई सम्मन/नोटीस प्रेषित किया गया और न ही हल्का पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 01.06.2020 पर ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर अथवा उसकी उपस्थिति के बारे में कोई अंकन है। अर्थात् अपीलाण्ट का यह तर्क सिद्ध पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा नक्शें में खसरा नम्बर 1557 की स्थिति में परिवर्तन करने से पूर्व उक्त भूमि के खातेदार को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 10/2022

उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह भी अंकन करना महत्वपूर्ण है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 में उपबन्धित प्रावधानानुसार राजस्व नक्शें आदि को अद्यतन व संधारण करने का अधिकार भू–अभिलेख अधिकारी (Land Record Officer) अर्थात् उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है। राजस्व नक्शें में किसी त्रुटि को दुरस्त करने हेतु तहसीलदार अधिकृत नहीं है। **अतः ज़ैर अपील आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2020 न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के उल्लंघन में पारित आदेश है, अपितु तहसीलदार बाली द्वारा क्षेत्राधिकार से इतर जाकर पारित किया गया आदेश है। न्यायालय हाजा के विनम्र अभिमत में ऐसा आदेश पूर्णतः अवैधानिक तथा प्रारम्भतः ही शून्य आदेश है, जिस पर न तो परिसीमा/म्याद की बाधा लागू होती है और न ही ऐसे किसी आदेश से कोई अधिकार सृजित होते है।**

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तर्क भी परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के मध्य समान आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में नियमित वाद लम्बित है और इस कारण अपील अथवा निगरानी संधारणीय नहीं है। किसी नियमित वाद के लम्बित होने के आधार पर किसी पक्षकार को क्षेत्राधिकार से इतर पारित अवैध आदेश से कोई अधिकार सृजित करने की अनुमति व उपधारणा नहीं की जा सकती है।

अतः हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार बाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/1274 दिनांक 15.06.2020 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाली को निर्देश दिए जाते है कि मौज़ा बाली के खसरा नम्बर 1557 तथा 1557/3722 के सम्बन्ध में ऑनलाईन राजस्व नक्शें तथा पटवार नक्शें में दिनांक 15.06.2020 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाए।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner